[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 13/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. ..... (अ)– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा0का0नि0 सं0 256(अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 64/95, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट समस्त माल को, और जो उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से, जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्र.सं.	**माल का वर्णन**	**शर्तें**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	सिगरेट से भिन्न समस्त माल	यदि भारतीय नौसेना या तटरक्षक के जलयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में पूर्ति की जाए
2.	अध्याय शीर्ष 2710 के अंतर्गत आने वाले मोटर स्प्रिट (सामान्यत: पैट्रोल के नाम से ज्ञात) और उच्च गति डीजल (एच एस डी)	यदि,- (क) भारतीय नौसेना या तटरक्षक के जलयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में किसी भी पब्लिक सेक्टर तेल कंपनी द्वारा विनिर्माण और पूर्ति की जाती है ; या (ख) उक्त ईंधनों के किसी अन्य विनिर्माता से किसी पब्लिक सेक्टर तेल कपंनी द्वारा उपाप्त की जाए और भारतीय नौसेना या तटरक्षक के जलयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में पूर्ति की जाए : परंतु ऐसा तब, जब- (i) ऐसी पब्लिक सेक्टर तेल कंपनी संबंधित पूर्ति के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या उप आयुक्त से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करता है

		; (ii) इन ईंधनों की प्राप्ति और पूर्तियों का अभिलेख रखता है ; (iii) अधिकारिता रखने वाले उत्पाद शुल्क अधिकारी के समाधानप्रद रूप में मासिक सुलह विवरण प्रस्तुत करता है और यह साबित करता है कि ऐसे ईंधन की पूर्ति भारतीय नौसेना या तटरक्षक के जलयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में की गई है ; (iv) ऐसा करने में असफल रहने पर ऐसी पब्लिक सेक्टर तेल कंपनी उचित रूप में हिसाब में नहीं लिए गए ईंधन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का ब्याज सहित संदाय करती है ।
3.	शीर्ष 2402 के अंतर्गत आने वाले सिगरेट	यदि,- (i) भारतीय नौसेना या तटरक्षक के जलयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में पूर्ति की जाती है ; (ii) विनिर्माता ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जो उसके कारखाने पर अधिाकरिता रखने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए ; और (iii) भारतीय नौसेना या तटरक्षक पोत का कमांडिंग आफिसर उस बंधित भांडागार के, जहां सिगरेट की पूर्ति की गई है, प्रभारी अधिकारी को, उक्त पोत के फलक पर सिगरेटों की पूर्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक प्रमाणपत्र इस आशय का जारी कर देता है कि सिगरेटों की पूर्ति भारतीय नौसेना या तटरक्षक के जलयान के फलक पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में की गई है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार